	1
Date of	
order or	
proceeding	3

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

## 22-04-2018 खण्डपीठ क0 23

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0

आरोपी सिंहत अधिववता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव

उप0।

फरियादी राजेश एवं आहत सीमा उप0। फरियादी एवं आहत की पहचान अधिवक्ता श्री दिनेश गुर्जर द्वारा की गई है।

आज दिनांक को उमयपक्षों द्वारा लोक अदालत में राजीनामा करने हेतु डॉकेट प्रस्तुत किया गया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हैिक आरोपी के विरुद्ध भादस की धारा 294, 323—दो शीर्ष एवं 508 भाग—2 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। उक्त धाराय न्यायालय की अनुमित से राजीनामा योग्य है फरियादी राजेश एवं आहत सीमा ने आरोपी से रवेषण्यापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा

2(42)

a georghed pa w

8)-644-Sigit 6:31

क्रिम्सिंह

श्मकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः राजीनामा भावेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षीं को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई । राजीनामा के आधार पर आरोपी धर्मेन्द्र जाटव को भाठद०संठ की धारा 294, 323-दो शीर्ष एव 506 भाग-2 के आरोप से दोषम्वत किया जाता है।

आरोपी पूर्व से जमानत पर है अतः उसके जमानत एव मुचलके भारहीन किये जाते है।

प्रकरण में जप्तश्दा कोई संपत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण

अभितेखागार भेजा जावे।

खण्डपीत सदस्य का-

(प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0 23 गोहद